न्यायालय तहसीलदार जालोर

सरकार बनाम नसीरखां पुत्र रावतखां मोयला हाल तासखाना वावडी जालोर
मुकदमा नं. 61/2019 RCMS - 00015/2020
धारा 91 LR ACT 1956

निर्णय

दिनांक 7.7.2020

पत्रावली आज पेश हुई गैर सायल उपस्थित, पटवारी हल्का जालोर सी की रिपोर्टाअनुसार मौजा जालोर सी के खसरा नं. 2252 रकबा 0.0153 किस्म गै.मु.गोचर भूमि पर संवत् 2077 मे कब्जा रूप मे अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो दर्ज रजिस्ट्रर कर नियमानुसार गैर सायल को धारा 91 (3) के तहत जरिये नोटिस तलब किया गया, गैर सायल ने उपस्थित होकर मय प्रार्थना पत्र इकरारनामा बेचाननामा व विधुत बिल की छायाप्रति पेश की जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली का अवलोकन किया जिसमे भूमि की किस्म गै.मु.गोचर होने से प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी मे है। गैर सायल को पर्याप्त समय देने के बावजुद भी कब्जे की वैधता के संबध मे कोई साक्ष्य उपलब्ध नही किया। अतः राज0 भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाकर जुर्माना ग्राम की दर 16.00 रूपये प्रति हैक्टर के हिसाब से 0.0153 हैक्टर की दर 0.24 रूपये का पचास गुणा से 12/— रूपये अक्षरे बारह रूपये आरोपित किया जाता है। मौके पर से भौतिक रूप से बेदखली के आदेश दिये जाते है पटवारी हल्का को बेदखल हेतु व टी.आर.ए. मांग कायमी हेतु एवं सहायक अभियन्ता जोधपुर वि.वि.निगम लिमिटेड जालोर को विधुत कनेक्शन का संबध विच्छेद करने हेतु पत्र लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 7.7.2020 को सुनाया गया।

(मादाराम मीणा)
तहसीलदार जालोर
तहसीलदार, जालोर